C16

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

इविक्सन अपील वाद सं0–07/2006
(आर0एम0आर0)

वकील मुर्मू
बनाम
बाबुलाल मुर्मू, वगैरह

रिभीजनकर्त्ता के तरफ से – श्री निरंजन घोष, अधिवक्ता
विपक्षियों के तरफ से – श्री उज्जवल कुमार मंडल, अधिवक्ता

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
01.08.2018	**आदेश** यह रिभीजन वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा दिनांक 14.02.2003 को आर0ई0आर0 वाद सं0–07/2001–02 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। रिभीजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना तथा रिभीजन आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। रिभीजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा रिभीजनकर्त्ता को मौजा–भेटाटोला, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के जमाबन्दी नं0–28 के दाग नं0–346 का रकवा 0–09–05 धूर जमीन से उच्छेद करते हुए उत्तरवादी नं0–02 को सूपूर्द करने का आदेश दिया गया है। उस आदेश के विरूद्ध न्याय पाने के लिए रिभीजन दायर किया गया है। रिभीजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि दिनांक 02.06.2001 को उत्तरवादी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत एक आवेदन दिया गया था कि मौजा भेटाटोला नं0–143 के जमाबन्दी नं0–28 के दाग नं0–346 रकवा 0–07–05 धूर जमीन खतियान में सिखर सोरेन के नाम से है एवं अहस्तान्तरणीय है। खतियानी रैयत सिखर सोरेन का मात्र एक पुत्री थी, नोहा सोरेन इसलिए उसकी शादी घरजमाई तरीके से जयराम मुर्मू के साथ संथाल रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। जयराम मुर्मू खतियानी रैयत शिखर सोरेन के मृत्यु के बाद उनके सभी जमीनों का मालिक एवं हकदार बने तथा वर्णित जमीन का राजस्व लगान अदा करते रहे। विपक्षी सं0–2 श्री सनत उर्फ शिखर मुर्मू नोहा सोरेन का एकमात्र लड़का है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	नोहा सोरेन एवं जयराम मुर्मू की मृत्यु के बाद उत्तरवादी/विपक्षी नं0–2 उनके पूरे जमीन का हकदार/दखलकार बने। विपक्षी सं0–2 का कहना है कि जब वे अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर गये थे, उसी बीच रिभीजनकर्त्ता के द्वारा अवैध रूप से वर्णित जमीन के 0–1–5 धूर जमीन पर बिना उनकी सहमति के जबरदस्ती रूप से मकान का निर्माण करा लिया गया। उनका यह भी कहना है कि रिभीजनकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है। उनका वर्णित जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–07/2001–01 में प्राप्त नोटिस के आलोक में दिनांक 05.07.2001 को कारणपृच्छा दाखिल किया गया। उत्तरवादी द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत जमीन खतियानी पर्चा में शिखर सोरेन के नाम से दर्ज है। वंशवृक्ष तैयार कर दिखाया गया कि खतियानी रैयत के साथ रिभीजनकर्त्ता का आपसी संबंध है। खतियानी रैयत शिखर सोरेन की मृत्यु उनकी पुत्री नोहा सोरेन के नाबालिग रहने के समय ही हो गई थी। नोहा सोरेन की देखभाल उसके पिता यानि शिखर सोरेन की बहन शान्ति सोरेन, पति होपना हेम्ब्रम के द्वारा की गई थी। शान्ति सोरेन की पति का असामयिक मृत्यु के कारण खतियानी रैयत शिखर सोरेन, शान्ति सोरेन को अपने एवं नाबालिग पुत्री की देखभाल करने की मंशा से अपने गांव भेटाटोला लाया था एवं मकान बनाने के लिए उन्हें प्रश्नगत जमीन दिया गया था। खतियानी रैयत की मृत्यु नोहा सोरेन की शादी के पहले हुई है। इसलिए खतियानी रैयत शिखर सोरेन का देखभाल शान्ति सोरेन के द्वारा किया गया एवं शान्ति सोरेन के द्वारा नोहा सोरेन की शादी जयराम मर्मू से किया गया। शान्ति सोरेन की मृत्यु उसका एकमात्र पुत्र मतला हेम्ब्रम को छोड़कर हुई है एवं मातला हेम्ब्रम की मृत्यु उसका दो पुत्री नीलमुनि हेम्ब्रम एवं रानी हेम्ब्रम को छोड़कर हुई है। रिभीजनकर्त्ता रानी हेम्ब्रम का पुत्र है। प्रश्नगत जमीन पर रिभीजनकर्त्ता एवं उनका माता–पिता 40 वर्षो से घर बनाकर रह रहें है, जिसपर खतियानी रैयत शिखर सोरेन तथा उनकी पुत्री नोहा सोरेन की कोई आपत्ति नहीं था। नोहा सोरेन की शादी घरजमाई तरीके से नहीं हुई है। इसलिए उत्तरवादी का कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। इनका यह भी कहना है कि दोनों पक्ष के आपसी विवाद का निपटारा महेशपुर थाना प्रभारी के द्वारा किया गया था, जिसमें	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आपसी समझौता कागजात भी बना था। प्रश्नगत जमीन पर वर्षो से रिभीजनकर्त्ता के दखल में रहने के बात भी आया है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा इस समझौता कागजात को बिना देखे और जांच किये बिना रिभीजनकर्त्ता को उच्छेद करने का आदेश देते हुए घर विहीन कर दिया गया।

रिभीजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश कानूनन गलत है। आदेश संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम 1949 के विपरीत है। रिभीजनकर्त्ता खतियानी रैयत का संबंध को बाहरी व्यक्ति घोषित किया जाना गलत है। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी नं0–2 की मां की शादी घरजमाई तरीके से होने को सही माना। वर्षो से प्रश्नगत जमीन पर रिभीजनकर्त्ता एवं उनके माता–पिता का भोग दखल में रहने की अधिकार को निम्न न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा गलत रूप से 0–07–05 धूर जमीन से उच्छेद का आदेश दिया गया जबकि उत्तरवादी के द्वारा 0–01–05 धूर जमीन जिसपर रिभीजनकर्त्ता का घर है, उसपर शिकायत है।

अन्त में इनका यह भी कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 की आड़ में आदिवासी की निर्मित मकान को ध्वस्त नहीं कर सकते और न ही उसे हटा सकते है। रिभीजनकर्त्ता के Right of adverse possession को भी निम्न न्यायालय द्वारा नहीं माना गया।

इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को गलत बताते हुए उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनका कहना है कि रिभीजनकर्त्ता के द्वारा यह रिभीजन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 14.02.2003 को आर0ई0आर0 वाद सं0–07/2001 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। चूंकि आदेश 14.02.2003 को पारित हुआ है और संबंधित अधिवक्ता के द्वारा 25.02.2003 को आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश अवलोकन के 3 वर्ष 4 माह बाद दिनांक 26.06. 2006 को रिभीजन दायर किया गया, जो लिमिटेशन से बाहर है। समय

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	

पर अपील दायर नहीं किये जाने के संबंध में संतोषजनक कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम 1949 की धारा 64 के तहत नहीं दर्शाया गया है।

इनका यह भी कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि से किसी भी समय उच्छेद किया जा सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 64 के तहत रिभीजन आवेदन दिनांक 26.06.2006 applicable नहीं है।

उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत महेशपुर थाना अन्तर्गत मौजा भेटाटोला नं0–143 के जमाबन्दी नं0–28 के दाग नं0–346 के कुल रकवा 0–07–05 धूर जमीन से रिभीजनकर्त्ता वकील मुर्मू को उच्छेद करने हेतु वाद दायर किया गया था। मौजा–भेटाटोला के दाग नं0–346 अहस्तान्तरणीय है एवं खतियान में शिखर सोरेन के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत शिखर सोरेन की पुत्री नोहा सोरेन की शादी जयराम मुर्मू के साथ घरजमाई रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। नोहा सोरेन एवं उनकी पति के मृत्यु के बाद खतियानी रैयत सनत उर्फ शिखर मुर्मू के दाग नं0 346 के अलावे अन्य जमीन का भी स्वत्व एवं दखल उत्तरवादी के अधीन हो गया एवं सरकारी खजाना भी देते रहे।

रिभीजनकर्त्ता के द्वारा दाग नं0–346 की 0–01–10 धूर जमीन पर उत्तरवादियों के बिना सहमति के घर बनाया है। रिभीजनकर्त्ता के द्वारा अनधिकृत रूप से उत्तरवादियों के जमीन को भी कब्जा कर रखा गया, जिसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, महेशपुर ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.01.2002 से प्रतिवेदित किया है कि नोहा सोरेन खतियानी रैयत शिखर सोरेन की पुत्री थी, जिसकी शादी घरजमाई तरीके से हुई थी। उनका पुत्र सनत उर्फ शिखर मुर्मू वर्णित जमीन का दखलकार है। रिभीजनकर्त्ता का अनधिकृत दखल पाते हुए रिभीजनकर्त्ता को वर्णित जमीन से उच्छेद करने की अनुशंसा अंचल अधिकारी, महेशपुर द्वारा किया गया।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उत्तरवादी का यह भी कहना है कि रिभीजनकर्त्ता ने कारणपृच्छा एवं रिभीजन आवेदन में न केवल गलत, आधारहीन एवं गलत दावा किया गया है बल्कि मनगढ़त एवं विरोधाभाषी दावा किया है। रिभीजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में दिए गए कारणपृच्छा के वंशावली एवं रिभीजन आवेदन के पारा–4 (a) में प्रस्तुत की गयी वंशावली में शान्ति सोरेन के उत्तराधिकारी में भिन्नता है। इसके अलावे निम्न न्यायालय में रिभीजनकर्त्ता के कारणपृच्छा के पारा–14 में रिभीजनकर्त्ता का उम्र 40 वर्ष एवं पारा–16 में दावा किया गया कि वे 50 वर्ष से दखल में है। इस प्रकार इनका सम्पूर्ण दावा विरोधाभाषी एवं झूठ है। रिभीजनकर्त्ता का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। ये बाहरी व्यक्ति हैं। इसलिए जबरदस्ती पूर्वक प्रश्नगत जमीन के कब्जा से निम्न न्यायालय द्वारा उच्छेद करने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए रिभीजन आवेदन को खारिज करने एवं निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2003 को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद् अधिवक्तओं को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि मौजा–भीटाटोला, थाना नं0–143 अंचल–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के जमाबन्दी सं0–28 का दाग नं0–346 रकवा 00–07–05 धुर का जमीन खतियान में शिखर सोरेन के नाम से दर्ज है। वर्णित जमीन अहस्तानान्तरणीय है। उक्त जमीन पर रिभीजनकर्त्ता का दखल कब्जा तथा उसके 00–01–10 धुर पर रिभीजनकर्त्ता का घर अवस्थित है। रिभीजनकर्त्ता अपने को खतियानी रैयत श्री शिखर सोरेन की बहन का बेटी का बेटा बताता है तथा यह भी बताया है कि प्रश्नागत जमीन पर मूल जमाबन्दी रैयत श्री शिखर सोरेन द्वारा अपने बहनोई की मृत्यु के पश्चात् अपने बहन शान्ति सोरेन को अपने घर स्वयं एवं अपने नबालिग बेटी नोहा सोरेन की देखभाल की मंशा से लाया तथा एक घर बनाकर रहने दिया। वे अपने को मूल जमाबन्दी रैयत का संबंधी बताते है तथा यह भी दावा करते हैं कि Co-sharer के विरूद्ध S.P.T.(Suppl. Prov.) 1949 की धारा 20 एवं 42 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

दुसरी तरफ उत्तरवादी उन्हें बाहरी बताते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाने के लिये प्रश्नागत जमीन से निम्न न्यायालय द्वारा S.P.T.(Suppl. Prov.) 1949 की धारा 20 एवं 42 के अन्तर्गत पारित उच्छेद संबंधी आदेश को उचित एवं न्याय संगत बताते हुए उसे बरकरार रखने का निवेदन करते हैं।

किसी न्याय निर्णय पर पहुँचने से पूर्व निम्न वैधानिक बिन्दुओं पर सम्यक विचारण करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(i) क्या संथाल परगनां काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम 1949 एवं संथाल कानून के अन्तर्गत बहन या बेटी को उनके पिता के जमीन में कोई वैधिक या कानूनी अधिकार प्राप्त है?

(ii) क्या रिभीजनकर्त्ता की नानी शान्ति सोरेन मूल जमाबन्दी रैयत शिखर सोरेन की बहन थी? यदि बहन थी तो क्या उन्हें अपने भाई द्वारा घर बनाने के लिये प्रश्नागत जमीन उपहार (Gift) में दिया गया था?

(iii) क्या Period of limitation एवं right of Adverse psssession प्रश्नागत जमीन पर प्रभावी होगा?

पहले बिन्दु के संबंध में वैधानिक स्थिति यह है कि बिना घरजमाई तरीके से विवाह सम्पन्न हुए बेटी को भी उनके पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं है। दुसरी बात यह है कि संथाल कानून के तहत महिला को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है।

दुसरे बिन्दु के संबंध में S.P.T.(Suppl. Prov.) 1949 की धारा 20(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि –

" Provided further that where gifts by a recorded santhal raiyat to a sister and daughter are permissible under the santhal law, such raiyat may with the previous written permission of the Deputy Commissioner, validly make such gift."

यानि उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से बहन और बेटी को

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1		

जमीन उपहार (Gift) दिया जा सकता है।

थोड़ी देर के लिये रिभीजनकर्त्ता के इस दावे को मान भी लिया जाय कि उनकी नानी शान्ति सोरेन खतियानी जमाबन्दी रैयत शिखर सोरेन की बहन थी, तो भी शिखर सोरेन की सम्पत्ति में बिना दान/उपहार (Gift) का उनका कोई वैधिक अधिकार नहीं बनता है। रिभीजनकर्त्ता द्वारा इस संबंध में कोई ऐसा कागजात/सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह प्रमाणित करे कि श्री शिखर सोरेन द्वारा उपायुक्त से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अपने बहन को प्रश्नागत जमीन उपहार (Gift) में दिया गया था।

अतः प्रश्नागत जमीन पर उनके द्वारा कब्जा करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। वहीं दुसरी ओर उत्तरवादी की दादी नोहा सोरेन की शादी जयराम मुर्मू, सा0–रामनाथपुर के साथ घरजमाई रूप से होने तथा जमाबन्दी रैयत शिखर सोरेन के सम्पूर्ण जमीन का भोग दखल करने के साथ–साथ अद्यतन लगान का भुगतान करने का समर्थन गांव के प्रधान, प्रमाणिक, गोड़ाईत एवं अन्य उपस्थित रैयतों द्वारा करने का उल्लेख अंचल अधिकारी, महेशपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 19/रा0, दिनांक 15.01.2002 में की गयी है।

अंचल अधिकारी, महेशपुर द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया है कि प्रश्नागत दाग के अंश रकवा पर रिभीजनकर्त्ता घर बनाकर 10–11 वर्षो से रह रहे हैं। यानि आज की तिथि को वे लगभग 30 वर्षो से भी अधिक अवधि से उक्त घर में निवास कर रहे है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि रिभीजनकर्त्ता द्वारा अवैध एवं अनधिकृत तरीकें से प्रश्नागत जमीन पर कब्जा करते हुए उसके अंश पर घर बनाकर निवास कर रहे हैं।

तीसरे बिन्दु के संबंध में S.P.T.(Suppl. Prov.) Act 1949 की धारा 42 के Comment & case Laws में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि –

There is no period of limitation on an application under this section as laid down in providing to section 64 and therefore an application for ejectment of an authorised

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

occupant can be filed at any time.

The Deputy Commissioner, whenever he comes across cases of wrongful psooession of land in contravention of the provisions of the Act, is bound to order for eviction as envisaged in the Act.

अतः रिभीजन आवेदन खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2003 को पारित आदेश को इस संशोधन के साथ बरकरार रखा जाता है कि अंचल अधिकारी, महेशपुर, कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, पाकुड़ के साथ मिलकर प्रश्नागत जमीन पर अवस्थित रिभीजनकर्त्ता के घर का मूल्यांकन कराकर उत्तरवादी को सूचित करें कि वे घर के मूल्यांकन के बराबर राशि रिभीजनकर्त्ता को उनके बैंक खाता में एकमुस्त या किश्तों में 28 फरवरी, 2019 तक NEFT / RTGS के माध्यम से जमा करें। तत्पश्चात् रिभीजनकर्त्ता को प्रश्नागत जमीन एवं घर से उच्छेद करते हुए उसकी दखल दिहानी 31.03.2019 तक उत्तरवादी को दिलाना सुनिश्चित करें। यदि उत्तरवादी 28 फरवरी, 2019 तक मूल्यांकन की सम्पूर्ण राशि रिभीजनकर्त्ता को भुगतान करने में विफल रहते हैं तो भी रिभीजनकर्त्ता को ~~31.08.2019~~ 31-08-2020 तक प्रश्नागत जमीन एवं मकान से उच्छेद करते हुए उत्तरवादी को दखल दिहानी दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

104/DB. 20/8/18

आदेश से सभी सम्बद्ध पक्षों को अवगत करावें।

अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण पूर्व में आदेश पारित करना संभव नहीं हो सका। आज दिनांक 01.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से यह आदेश निर्गत किया गया।

लेखापित एवं संशोधित

1/08/18

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

1/08/2018

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

3/9/18

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.11 17:01:08 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner